दिनांक 29.05.2019

स्वच्छ भारत अभियान   स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में भिलाई को स्वच्छता में नंबर वन बनाने के लिए आयुक्त एस.के. सुंदरानी ने ली समीक्षा बैठक

भिलाईनगर/ महापौर एवं विधायक भिलाई नगर देवेंद्र यादव का प्रमुख उद्देश्य भिलाई शहर को स्वच्छता में नंबर वन बनाना है जिसके लिए आयुक्त श्री सुंदरानी के द्वारा सभी विभागों की समीक्षा बैठक लेकर निर्देश दिए गए! भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में निर्धारित मापदण्ड के अनुसार देश स्तर पर प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थ बेचने वाले कम्पनियों को अब भिलाई शहर में अपने उत्पाद के कचरे को कम्पनी को ही निपटान करना होगा ऐसा नहीं करने वाले कम्पनियों के उत्पाद शहर में विक्रय हेतु प्रतिबंधित किया जाएगा। आयुक्त एस0के0 सुंदरानी ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के आयोजित कार्यशाला में उपस्थित अधिकारी, कर्मचारियों को सर्वेक्षण के पैमानों की जानकारी देते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होने कहा कि देश के प्रतिष्ठित खाद्य पदार्थ चिप्स, बिस्किट्स, पानी, सहित अन्य खाद्य एवं पेय पदार्थ जो शहर के दुकानों में विक्रय किये जा रहें हैं ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग के बाद उससे निकलने वाले कचरे का निपटान उत्पाद कम्पनी को ही करना होगा। आयुक्त ने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि ऐसे खाद्य पदार्थों को चिन्हित कर उनके कम्पनी को नोटिस जारी कर उन्हे अपने उत्पाद से निकलने वाले कचरे को निपटान करने के निर्देश दें। तीन नोटिस के बाद शहर में बिकने वाले खाद्य पदार्थों से निकलने वाले कचरे का निपटान नहीं करने पर उस कम्पनी के उत्पाद का विक्रय शहर में प्रतिबंधित कर दिया जायेगा।

स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 तीन चरणों में होगा जिसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा इस समय 4 हजार अंक निर्धारित किये गये हैं सर्वेक्षण के निर्धारित पैमानों के अनुसार घरों से निकलने वाले निस्तारी जल का ट्रीटमेंट कर पुनः उपयोग किया जाना, शहर के व्यवसायिक क्षेत्रों का सुबह एवं शाम को सफाई, आवासीय क्षेत्रों के सफाई, डस्टबीन मुक्त शहर, धूल मुक्त शहर, पब्लिक फीडबैक, आदि पर सरकार द्वारा नम्बर निर्धारित किये गये हैं। नगर पालिक निगम, भिलाई निर्धारित पैमानों के बहुत सारे मापदण्डों को पूर्व से ही पूरा करता आ रहा है नतीजतन भिलाई निगम देश में 11वां स्थान प्राप्त किया था।

स्वच्छता सर्वेक्षण का सर्वाधिक अंक कचरा संग्रहण एवं परिवहन तथा उसके निपटान पर निर्धारित किये गये है जिसके लिए भिलाई निगम अपने आप को तैयार कर रखा है। सघन बस्तियों के बीच में कचरा डम्पिंग का कार्य बंद कर दिया गया है अथवा वार्ड से निकलने वाले कचरे का निपटान वार्ड में ही एस.एल.आर.एम सेन्टर बनाकर किया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर

में पालिथीन , कैरीबैग पर प्रतिबंध के निर्देश प्राप्त हैं जिसके लिए निगम भिलाई टीम बनाकर छापामार कार्यवाही लगातार कर रही है। भवनों से निकलने वाले मलबों (निर्माण एवं विध्वंस) का निपटान पुर्नचक्रीकरण पद्धति से किया जा रहा है। बैठक में अधीक्षण अभियंता आर0के0 साहू, सत्येन्द्र सिंह, उपायुक्त अशोक द्विवेदी, टी0पी0 लहरे, जोन आयुक्त बी0के0 देवांगन, डी0के0 वर्मा, संजय बागड़े, सुनील जैन, एम0पी0 देवांगन, एस0पी0 साहू, मूर्ति शर्मा, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रा, जावेद अली, समस्त सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, स्वच्छता निरीक्षक, सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित थे।

जनसम्पर्क अधिकारी